



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ मंजु गुप्ता

257-A नीलगिरी बाग

पत्रांक 111 इलाहाबाद नि० प्रा० २०१७/०८  
21/006

दिनांक 13-4-2017

भूमि/भूखण्ड संख्या/..... 3/1 योजना भूमि. 3 नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 650  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, तथा ममटी हेतु 150.75 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 233.75 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 3.5  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*Yedot*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 111

/उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 3.5 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय में १३/४/१७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Yedot 13/4/17*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

नीलमा यादव

1/222 आवास विकास लालीनी इमारी-३

पत्रांक 168

इलाहाबाद नि० प्रा० २०१६/३१

दिनांक २३-५-२०१६

भवन / संख्या 1/222 योजना इमारी-३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १४-३-२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ५०/१२३ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पारे जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २३-५-२०१६ से २२-५-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममठी हेतु १०१.१८ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२१.८९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
४. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

मू० सं० १६८

/ उपरोक्त

/ ९८ तददिनांक २३-५-२०१६

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

९८



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती / श्री फलाहारी  
1/24 एम. आर. जी. इमारी योजना संचया 3  
निर्माण पत्र नं. 113 प्रा. 2017/07

दिनांक 13-4-2017

पत्रांक 113

भवन / ..... संख्या 1/24 योजना संचया-3 स्थानी नगर इलाहाबाद निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-2017 के क्रम में निर्माण प्राप्त रजिस्टर संख्या 651 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ..... तथा ममटी हेतु 98.94 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 12.4x7.8 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*Yedot*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि :-

पृष्ठ सं 113

/ उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

- प्रतिलिपि :-
1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय महाराष्ट्र उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Yedot, 13/4/17.*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आईएसओ ५००१-२००० प्रमाणित संस्था

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई - द्वितीय

नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,

लखनऊ

प० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

भारतीय मानक व्यूठ  
15700

IS



## स्वीकृति-पत्र(प्रथम चरण)

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी चुनीता बत्ती श्री सरोज कुमार लिंग  
115 रुम: आई.पी., श्रुति गोजना लंग ३  
इलाहाबाद

पत्रांक 520

/निप्रा० २०१५ /१३६

दिनांक: २८.११.२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या ११५ योजना श्रुति के लंग ३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०५.११.२०१६ के क्रम में निप्रा० रजिस्टर संख्या ४९९  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २८.११.२०१६ से २७.११.२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी।
- स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड ३५ को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक १०.१४ वर्ग मी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है, भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
- यह स्वीकृति १०.०६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १०.१४ वर्ग मीटर भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
- ३०० वर्ग मीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/ सहायक  
वास्तुविद नियोजक/ वास्तुकला सहायक

प०स्तो: ५२० / उपरोक्त /

तददिनांक २८.११.२०१६

प्रतीक्षित: १. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड ३५ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, श्रुति गोजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद को  
उपरोक्त शर्त सं०-३ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/ सहायक  
वास्तुविद नियोजक/ वास्तुकला सहायक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्रीमती / श्रीमति

तदावली दफ्तर वाकला

3/698 L.I.G. पांजरी संदर्भ-३ मुम्मी

पत्रांक 145

इलाहाबाद निरो प्रा० 2016/81


दिनांक 28-4-2017

भवन/भूमि संख्या 3/698 योजना इमाई-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28-4-2017 के क्रम में निरो प्रा० रजिस्टर संख्या 653

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक 28-4-2017 से 27-4-2022 तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 31.90 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 145-

/उपरोक्त

तददिनांक 28-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, में 28/4/17 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी शशी भिला  
2/234 ल. २. ८. इंली योजना सं. ३  
इलाहाबाद

पत्रांक 204

नि० प्रा० 2016/61

दिनांक 6-6-2016

भवन / भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या 2/239 योजना इंली योजना सं. ३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26. ५. 2016 के क्रम में नि० प्र० ० रजिस्टर संख्या 70/247  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6-6-2016 से 5-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 35.76 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
6.0. ८. ९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध संमयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर ऐन वाटर हारेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प० सं० 204  
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

तददिनांक 6-6-2016

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ पूर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय अनुद्दीप्ति इलाहाबाद प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
१२०१.४



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सतीता  
2/76 शुभे ली यो सं० ३  
इलाहाबाद

पत्रांक 152

नि० प्रा० २०१७/२५

दिनांक २५-५-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या..... 2/76 योजना शुभे ली यो सं० ३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 669  
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। २५-५-२०२२

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २५-५-२०१७ से २५-५-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 101.74 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
129.06 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक - २५-५-२०१७

पृ० सं० 152

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय-टॉन्ड शेवर ऑफिस उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक - २५-५-२०१७



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)  
स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

विमला प्रभाती

उ० प्र० ३/१५० - ज्ञाम - ३ इलाहाबाद

पत्रांक १७२

नि० प्र० २०१६/५४

दिनांक २५-५-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या ३/१५० योजना इंग्रीजी ३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ११.०५-२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ६३/२२३ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २५-५-२०१६ से २४-५-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३१.९० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६.२७.२ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० स० १७२

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक तददिनांक २५-५-२०१६

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, इलाहाबाद, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक तददिनांक २५-५-२०१६



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ स्त्री/ श्री  
आनंद कुमार मिश्र  
III-13 गंगा विहार तीपबाजार-पूर्व  
इलाहाबाद निर्माण प्र० २०१६/३०

पत्रांक

165-

दिनांक 23-5-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त्र संख्या 6/278 योजना झंगा-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10-3-2016 के क्रम में निर्माण प्र० रजिस्टर संख्या 39/12 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-5-2016 से 22-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूल, प्रथम तल, निर्माण प्रारम्भ हेतु 54.81 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 61.08 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

165

/ उपरोक्त

/ १० तददिनांक 23-5-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

6/0 recent

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी भगवान दीन मौर्य  
द्वि० रु० ०३ इफको टाउनसिप विधानगर  
इलाहाबाद - २१२४८५  
नि० प्रा० २०१६/६४

पत्रांक 362

दिनांक 19-7-2016

भवन / भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या ।।।।। ४ ..... योजना मूर्ती - ३ ..... नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २९.६.१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ९२/३२७  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 19-7-2016 से 18-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूत्कर्ता, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ।।।।। ४.४.८५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ।।।।। ३५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

राजेश

तददिनांक 19-7-2016

पृ० सं० 362

/ उपरोक्त

रितिलयर गोड

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - ३५ अप० काम्पलेक्स प्र० आवास एवं विकास परिषद ।।।।। ४.४.८५

को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ।।।।। ४.४.८५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ।।।।। ४.४.८५ इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

राजेश 19-7-2016



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी धनंजय प्रसाद शुक्ल  
7/273 एम-आर-जी., झूली सौ. बं ३  
इलाहाबाद

पत्रांक 161

नि० प्रा०

दिनांक 4-8-2017

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या 6/167/1A योजना झूली बं ३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 682

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-5-2017 से 3-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूर्तल, प्रभ्य-त्स, द्वितीय-त्स तथा ममटी हेतु 106.58 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 104.38 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

०१ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 161

/उपरोक्त

तददिनांक 4-5-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय न्दू शेल्टर ऑफिस नगर उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ महिला काम्पल किंचित् एवं प्रगति किंचित्  
ग्राम-डांडी पोस्ट-ऑफिस डिला-इलाहाबाद

पत्रांक 114

नि० प्रा० २०१७/०४

दिनांक 13-4-2017

भूमि/भूखण्ड संख्या/ ९/२१२ योजना ३-३-३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २४-३-२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ६५७

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से १२-४-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल हेतु ४३७.७६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २६०-८० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*जेफर्सन*

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

*एम्पत्ति*

पृ० सं० ११४

/उपरोक्त

तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :—

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*जेफर्सन*

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

*एम्पत्ति*



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी नीरज कुमार लालू एवं श्री शर्व कुमार लालू  
2142 झूंली मौजना संख्या-3  
इलाहाबाद

पत्रांक 63

नि० प्रा० 2017/09

दिनांक 23-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या 2/142 योजना द्वंता गो० ल० 3 नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 612  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-2-2017 से 22-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा माटी हेतु 11.1.8.4 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये।  
18.5.3.6 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3.5  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 63

/ उपरोक्त

/ तददिनांक 23.2.2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3.5 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

✓



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी राधेश्वर पतेवारी  
340/175 बालू का बाग  
इलाहाबाद

पत्रांक 516

नि० प्रा० २०१६/६७

दिनांक २४-११-२०१६

भवन / भूखण्ड संख्या / खंड संख्या ।।। ११० योजना शूली गौ० लं० ३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७.१०.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ।।। १५/४४४

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २४-११-२०१६ से २३-११-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ।।। १.७.०९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ।।। १५.६।।। वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ।।। ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक*

पृ० सं० ५१६

/उपरोक्त

तददिनांक २४-११-२०१६

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ।।। ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक*



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...टूर्टीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उठो प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रमापति मौर्य  
3/422 आवास विलास लोनी, शुल्की थोड़े संचय  
इलाहाबाद

पत्रांक 229

निरो प्रा० 2017/24

दिनांक 28-6-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या 3/422 योजना झोड़े सी फॉर्म ल०३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2017 के क्रम में निरो प्र० रजिस्टर संख्या 173

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक 28-6-2017 से 27-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 83.20 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 63.27 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—35 उठो प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 229

/ उपरोक्त

तददिनांक 28-6-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उठो प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उठो प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक बॉर्ड  
28/6/17



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कमाली २५६ कुमार श्रीमान

पर्सनल एवं फैब्रिक फूलपुर

इलाहाबाद

पत्रांक २४७

नि० प्रा० २०१७/५२

दिनांक १३.७.२०१७

भवन / भूमि संख्या / संख्या संख्या १/२१६ योजना फॉर्म ३ नगर १०८८४

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २०-६-१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ८१७

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपचारित व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक १३.७.२०१७ से १२.७.२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तथा ममटी हेतु १८.७.७० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२१.८९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर ऐन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि :-

पूर सं० २४७ / उपरोक्त

तददिनांक १३-७-२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय २५६ कुमार फौलपुर उप्रो आवास एवं विकास परिषद १०८८४ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि :-



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

भार्डॉफसल्जाल ४००१-२००० प्रमाणित संस्था

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय

नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,  
लखनऊ

प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत भवन बनाने  
हेतु

मारतीय मानक व्यूरो  
15700

18



### स्वीकृति-पत्र(प्रथम चरण)

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रत्ना आर. जीर्ण  
म.सं. २/६२ रम. आर. पी., झूली योजना लै.०३,  
इलाहाबाद,

पत्रांक: ५२१

/निप्रा० २०१५/९२

दिनांक: २८-११-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्तरा संख्या २/६२ योजना लै.०३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०८.११.२०१६ के क्रम में निप्रा० रजिस्टर संख्या ४९६  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २८-११-२०१६ से २१-११-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी।
- स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०  
आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड ३.५ को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व  
सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता  
है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक १८८.०२ वर्ग मी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु  
प्रदान की जाती है, भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की  
रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
- यह स्वीकृति १००.२२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १००.०२ वर्ग मीटर भूखण्ड में  
प्रदान की गयी है।
- ३०० वर्ग मीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक  
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक

प्र०स०: ५२१ / उपरोक्त /

- प्रतिलिपि: १. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड ३५ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वितीय योजना लै.०३ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को  
उपरोक्त शर्त सं०-३ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक  
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी संजय एवं श्रीमती पुजा श्रीवाच्चव  
रत्न आड़ेः जी । १/१६ आवास विळास जालोनी, झुंझी - ३  
इलाहाबाद

पत्रांक ४२१

नि० प्रा० २०१६/५।

दिनांक १-९-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या ११६ योजना झुंझी आजना क्षेत्र ३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १९.०९.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ४००  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ बर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधिकों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक १-९-२०१६ से ३१-८-२०२१ तक) पाँच वर्ष की दोगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतैल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मटी हेतु ८७.०६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
१८.३५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
४. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प० स० ४२१

/उपरोक्त

प्रतीलिपि

*✓* विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
कार्यालयकृत श्रेवर लाल नगर  
तदिनांक १-९-२०१६

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयकृत श्रेवर लाल नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*✓* विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
कार्यालयकृत श्रेवर लाल नगर  
तदिनांक ३१-८-१६



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री / श्रीमती / कुमारी

सन्तुष्ट या निरस्तुष्ट पाठ्य

2/73/2 झौंपा-3 इलाहाबाद

पत्रांक 173

नि० प्रा० 2016/55

दिनांक 25-5-2016

भवन / भूखण्ड संख्या / खंड संख्या 2/73/2 योजना झौंपा-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-05-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 64/223.

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-5-2016 से 24-5-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, पृष्ठांतर, द्वितीय तथा ममटी हेतु 75.30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 109.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 173

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 25-5-2016

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सुहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Recon-



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘‘८० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’’)

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी द्वातप लकाश श्री  
रम आर० झौली योजना ल००३  
इलाहाबाद

पत्रांक ६५

नि० प्रा० २०१७/१८

दिनांक २३-१-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या ।/१५ योजना श्रीली योजना ल०३ नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ।६.०२.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २५/६०९  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक २३-१-२०१७) से २२-१-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटी हेतु १०४.६८ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
१२।.८९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ६५

/उपरोक्त

तददिनांक २३-१-२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्हूं शोलर योजना नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / ~~प्रिया~~ श्री तत्त्वा स्माद तिवारी  
D-11 - गंगा विहार क्लाली न्यू कॉट  
इलाहाबाद निर्माण प्राप्ति दिनांक 13-4-2017

पत्रांक 112

निर्माण प्राप्ति दिनांक 13-4-2017

दिनांक 13-4-2017

भवन/भूमि संख्या/संख्या संख्या 5/64 योजना इमारी-3 नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-3-12 के क्रम में निर्माण प्राप्ति रजिस्टर संख्या 648

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-4-2017 से 12-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~प्रिया तल स्थापित हेतु~~ 54.72 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.28 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 112

/ उपरोक्त

/ तददिनांक 13-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ~~में~~ 60.28 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / डिवांग भट्ट  
67/62 राहरा बाग सद२  
इलाहाबाद निः प्रा० २०१५/१

पत्रांक 122

दिनांक २०-४-२०१७

भवन / भूखण्ड संख्या / संख्या संख्या ७/१३८ योजना संस्था-३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १३-४-२०१७ के क्रम में निः प्र० रजिस्टर संख्या ६४७..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २०-४-२०१७ से १९-४-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा इसे हेतु ३१३-११ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १८१.३.५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० १२२

/ उपरोक्त

तददिनांक २०-४-२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ मुद्रित सुरेश कुमार  
8/249- संभा- ३ लालगढ़

पत्रांक २४३

नि० प्रा० २०१७/५१

दिनांक ११-२-२०१७

भवन/ संख्या ८/२४९ योजना संभा- ३ नगर लालगढ़

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २०-६-२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ८१८ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ११-२-२०१७ से १०-२-२०२५ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, तथा ममटी हेतु ८०.८९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२.१.८९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
४. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

११-२-१७

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
(२००८)

प० सं० २४३

/ उपरोक्त

तददिनांक ११-२-२०१८

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लालगढ़ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

११-२-१७

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
(२००८)

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री / स्त्री / शुभी

तारुण कुमार

१/२१३ इंसाफ़ी ३ इलाहाबाद

पत्रांक १५८

नि० प्रा० २०१५/१३०

दिनांक २३-५-२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या १/२१३ योजना इंसाफ़ी ३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १८-३-२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १४३/११२६ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के विधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत या जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २३-५-२०१६ से २२-५-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण उपविधि कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों नहिं मान्य होगा।


२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, इंसाफ़ी तथा ममटी हेतु ९१.१० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२१.८० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

४. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

सं० १५८

/ उपरोक्त

तददिनांक २३-५-२०१६

प्रतिलिपि:-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद

ने स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् फ़िल्मी अभियन्ता को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

g/ C/Pmt



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी वी.०.के० कटिभाट एवं श्रीमती लालनना कटिभाट  
भवन सं. १०.८/२.१ झुली गो० लं० ३  
इलाहाबाद

पत्रांक ६४

नि० प्रा० २०१७/१९

दिनांक २३.२.२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त संख्या १०.८/२.१ योजना झुली गो० ३ नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १६.०२.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ६१०

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २३.२.२०१७ से २२.२.२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी-हेतु ६०.९० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ७५.७२ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० ६४

/ उपरोक्त

तददिनांक २३.२.२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय-न्हु.शोत्र.लाला.नगर. उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

१८.२०१७